न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल ,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 14/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.शंकरदास पुत्र लक्ष्मणदासजी, 2.किशनदास पुत्र लक्ष्मणदासजी, जातियान् वैष्णव,निवासीगण बावडी तहसील आहोर, जिलाजालोर		1.ग्राम पंचायत बावडी जरिए सरपंच,/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बावडी,पंचायत समिति आहोर, जिला जालोर (राजस्थान) 2.लालदास पुत्र बंशीलालजी, जाति वैष्णव (साद), निवासी बावडी,तहसील आहोर, जिला जालोर(राजस्थान) 3.पंचायत समिति आहोर जरिए विकास अधिकारी,पंचायत समिति आहोर, जिला जालोर (राजस्थान) 4.उप पंजीयक आहोर,तहसील आहोर, जिला जालोर(राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बावडी,दिनांक 12.7.2017(पट्टा सं.29)

उपस्थितिः—
1.श्री ललितखत्री, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से।
2.अप्रार्थी सं.2 के वकील अनुपस्थित।
3 अप्रार्थी सं.1,3,4अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 24.2.2020

1. प्रार्थीगण के निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम बावडी के मूल निवासी है तथा वर्तमान में अपनी व अपने परिवार की आजीविका के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते है, प्रार्थीगण के दादा जेरूपदासजी का पारिवारिक सजरा इस प्रकार हैं ,जेरूपदासजी के तीन पुत्र लक्ष्मणदास(फौत), छगनदास उर्फ छगनाराम (फौत)व बंशीलाल(फौत) है, लक्ष्मणदास(फौत) के दो पुत्र शंकरदास व किशनदास,छगनदास (फौत)के एक पुत्र हडमानदास, तथा बंशीलाल (फौत) के एक पुत्र लालदास है। जैरूपदास के एक मकान मौजा बावडी की

आबादी ठाकुरजी की सेरी में ,दूसरा एक वाडा बस स्टेण्ड बावडी पर आया हुआ है, जिनका जैरूपदास के पुत्रों द्वारा आपस में विभाजित कर ली गई है व उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र उक्त सम्पतियों पर काबिज है। बंशीलाल ने उक्त प्लोटो पर नियत खराब की जिस पर प्रार्थीगण ने पुलिस थाना नोसरा में रिपोर्ट पेश करने पर गाव व समाज के लोगो द्वारा समझाईश पर राजीनामा हो गया। प्रार्थीगण होली के पर्व पर अपने गांव बावडी आने पर पता चला कि अप्रार्थी सं. 2–लालदास ने अप्रार्थी सं. 1–ग्राम पंचायत बावडी से बावडी बस स्टेण्ड पर स्थित अपने हिस्से में आई जमीन का पट्टा बना लिया है,प्रार्थीगण ने भी अपने हिस्से की जमीन का पट्टा बनाने के लिए अपने कब्जे व स्वामित्व के हिस्से का नाप किया तो अप्रार्थी सं.2 ने प्रार्थीगण से झगडा किया, प्रार्थीगण ने पुलिस थाना नोसरा में रिपोर्ट की तब प्रार्थीगण को पता चला किया लालदास ने अप्रार्थी सं.1–ग्राम पंचायत से पट्टा सं.29 दिनांक 12.7.2017को प्राप्त कर लिया है जिस पर नकलो हेतु प्रार्थीगण ने आवेदन किया ,नकले दिनांक 11.4.2018को उपलब्ध कराई गई ,जिस पर यह निगरानी पेश की है। अप्रार्थी सं.2 द्वारा अपने मौजा बावडी के बस स्टेण्ड पर स्थित मकान के पश्चिम दिशा के पडौस में चुन्नीलाल पुत्र समरताजी राजपुरोहित दर्शाया है जबकि अप्रार्थी सं.2के मकान के पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण का पडौस आया हुआ है, ग्राम पंचायत बावडी द्वारा बैठको में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मिसल कायम करने के नाम पर खानापूर्ति करके अप्रार्थी सं.2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, मिसल में वर्णन दिनांक 5.6.2017 के अनुसार मौका निरीक्षण के लिए अचलदास, पारसमल व सुशीलादेवी की कमेटी का गठन का उल्लेख है जबकि मौका देखने के नाम पर खानापूर्ति करने में अचलदस के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, मिसल की नकल में कही भी किसी गवाह के बयान दर्ज नही है और न ही किसी गवाह का शपथपत्र ही लगा हुआ हैं, मात्र सरपंच ने गवाह के रूप में शपथपत्र दिया है जो जांच का विषय है, पंजीयन मात्र एक प्रकिया है जिसके द्वारा अचल सम्पति के अन्तरण को पूर्णतःप्राप्त नही होती है,उसके द्वारा किसी अवैध ,अनुचित अन्तरण व कार्यवाही को अन्तिमता प्राप्त नही हो जाती । अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बावडी द्वारा लालदास के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.7.2017 निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र में फहरिस्त के साथ पट्टा सं.29 आदि की प्रमाणित प्रति पेश की,इस पर निगरानी प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थीगण के निगरानी प्रार्थनापत्र का जवाब मय शपथपत्र अप्रार्थी सं.2 की ओर से दिनांक 3.7.2019 को पेश किया कि पारिवारिक सजरे में प्रार्थीगण ने

जानबूझकर जैरूपदासजी की संतानों का गलत सजरा वर्णित किया है जबकि जैरूपदासजी के एक पुत्री संतान रामप्यारी भी है। जैरूपदासजी की सम्पतियों का आज रोज तक विभाजन नही हुआ है, इस कारण अप्रार्थी ने सिविल न्यायाधीश जालोर में जैरूपदासजी की सम्पतियों को लेकर विभाजन का दावा पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। बस स्टेण्ड पर स्थित वाडे पर कब्जा अप्रार्थी के पिता बंशीलाल का निरंतर 50 से 60 वर्षो से था जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगणों की नियत खराब होने से तथा अप्रार्थी के पिता का देहान्त होने के बाद अप्रार्थी एक मात्र लडका होने के कारण तथा अपनी माता विधवा होने के कारण उक्त वाडे को लेकर रोज झगडा टंटा करने से अप्रार्थी की माता सुकीदेवी ने अपने पति के वाडे को सुरक्षित करने के लिए,क्योंकि अप्रार्थी व उसकी माता सुकीदेवी को प्रार्थीगण से खतरा होने के कारण सिविल न्यायाधीश जालोर में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जो विचाराधीन है, उक्त वाडे पर प्रार्थीगण द्वारा जबरन लाठी के बल पर कब्जा करने के कारण पुलिस थाना नोसरा में मुकद्मा दर्ज हुआ जिसके मुकद्मा नम्बर 83/2018 व 84/2018 है,अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं.1 में पुलिस थाना नोसरा द्वारा जांच कर चार्जशीट प्रार्थीगण के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थीगण ने इसी पट्टे को लेकर सिविल न्यायालय में भी कार्यवाही की है जो विचाराधीन है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा उप पंजीयक भाद्राजून में पंजीयन बद्ध हो चुका है तथा ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी का सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार हासिल नही है। अप्रार्थी ने उक्त पंजीकृत पट्टे को बैंक में बंधक कर रखा है तथा ऋण भी प्राप्त कर रखा है। अप्रार्थी की माता द्वारा प्रस्तुत वाद में अदालत द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर श्री इसरारखा ने मौका देखा था जो रिपोर्ट भी मौका कमिश्नर ने अदालत में मुर्तीब की है जिसमें भी प्रार्थीगण का कही पडौस वर्णित नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र ,गलत आधारों पर पेश होने से खारिज करावे।

3. प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि जेरूपदासजी पुत्र मोतीरामजी निवासी बावडी की मृत्यु पर उनके तीनो पुत्र लक्ष्मणदास, छगनदास उर्फ छगनीराम व बंशीलाल काबिज थे व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र सम्पतियों(मकान व वाडा) पर काबिज है। प्रार्थीगण को पता चला कि लालदास प्रतिउत्तरदाता सं.2 ने ग्राम पंचायत बावडी से बावडी बस स्टेण्ड पर आई जमीन का पट्टा सं.29/12.7.2017 बना लिया है, ग्राम पंचायत द्वारा बैठको में कोई कार्यवाही नही की गई,मात्र मिसल कायम करने के नाम पर खाना पूर्ति करके पट्टा जारी कर दिया गया है। मौका रिपोर्ट में अचलदास पार्ड पंच के कोई

हस्ताक्षर नही है, न गवाह के बयान दर्ज किये एवं न ही किसी गवाह का शपथपत्र लगा हुआ है। अतःपुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बावडी द्वारा श्री लालदास के पक्ष में जारी पट्टा सं. 29दिनांक 12.7.2019 को निरस्त करावे। अप्रार्थी सं.2 के वकील अनुपस्थित है।

4. प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया व रैकार्ड अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं.2--लालदास द्वारा शपथपत्र में दर्शाये गये पडौस के 298.62 वर्गगज का पट्टा जारी करने का प्रार्थनापत्र सरपंच, ग्राम पंचायत बावडी को दिनांक 5.6.17 को प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत की उक्त पत्रावली में ग्राम पंचायत बावडी द्वारा आमसूचना (आपत्ति पत्र)दिनांक 20.6.2017 को जारी किया गया , दिनांक 20.6.17को ही आबादी भूखण्ड का वार्ड पंचों द्वारा निरीक्षण किया गया, दिनांक 20.6.17को ही मौका रिपोर्ट बनायी गयी जिस पर प्रार्थी लालदास का मकान /प्लोट पुश्तैनी कब्जासुदा बताया गया किन्तु मकान पर कितने वर्षो से कब्जा है, का कॉलम रिक्त छोडा गया है।

दिनांक 20.6.2017 को सरपंच, ग्राम पंचायत बावडी द्वारा उक्त विवादित आराजी के तीन पडौसी —1— शंकरसिंह पुत्र हरीसिंह, राजपुरोहित,उम्र 50 वर्ष, 2--हडमानदास पुत्र छगनीरामजी जाति साद, उम्र 48 वर्ष, 3—चुन्नीलाल पुत्र समरताजी जाति राजपुरोहित, उम्र 62 वर्ष के बयान कलमबद्ध किये गये लेकिन शपथ पर लिये गये उक्त तथाकथित बयानों पर, बयानकर्ता शंकरसिंह पुत्र हरीसिंह राजपुरोहित, हडमानदास पुत्र छगनीरामजी साद, व चुन्नीलाल पुत्र समरताजी राजपुरोहित के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नही है, पर सरपंच, ग्राम पंचायत बावडी ने हस्ताक्षर कर पदीय मोहर लगायी हैं, अतः उक्त बयान का विधिक रूप से कोई महत्व नही है।

पत्रावली के पृष्ठ सं.18 पर बयान फार्म खाली है तथा उसका भी तत्कालीन सरपंच पिनूकंवर द्वारा प्रमाणित कर हस्ताक्षर कर पदीय मोहर लगायी हैं।

उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रैकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि मुख्य विवाद उक्त लालदास के मकान तथा चुन्नीलाल के मकान के मध्य स्थित खाली बाडे को लेकर है जिस पर पुलिसथाना में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ तथा सिविल न्यायालय में कार्यवाही की गयी। चूंकि प्रकरण पुश्तैनी आबादी भूमि पर पट्टा जारी करने से सबंधित था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा समुचित नोटिस देकर , सभी पक्षकारान् तथा पडौसीयान् के बयान लेकर ,सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका देकर उक्त पट्टा जारी नहीं किया गया।

अतःसरपंच, ग्राम पंचायत बावडी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की दी गई प्रक्रिया की पालना नही की गयी है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी रिमाण्ड योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत बावडी द्वारा अप्रार्थी सं.2–लालदास के पक्ष में जारीपट्टा सं. 29 दिनांक 12/7/2017 निरस्त किया जाता है व प्रकरण सरपंच, ग्रामपंचायत बावडी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि सभी पक्षों को सुनकर, पडौसियों के बयान लेकर , मकान पर कब्जे के सबंध में साक्ष्य लेकर, 3माह की अवधि में पुनः नियमानुसार पुनः पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 24.2.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.03.30 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: